फैक्स/सर्वोच्च प्राथमिकता

डीजी परिपत्र संख्या - 52 /2015

जगमोहन यादव
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः जुलाई 12,2015

विषयः विशेष आख्या अपराध श्रेणी के अपराधों की पत्रावलियों को Heinous Crime Monitoring System, साफ्टवेयर में अभिलेखीकृत किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

प्रिय महोदय,

प्रदेश में घटित विशेष अपराध आख्या श्रेणी के अभियोगों का अभिलेखीकरण एवं प्रत्येक स्तर पर सुगमतापूर्वक पर्यवेक्षण व आंकलन किये जाने हेतु मुख्यालय स्तर पर तैयार किये गये Heinous Crime Monitoring System साफ्टवेयर में इन्ट्री किये जाने विषयक पत्र व परिपत्र समय-समय पर मुख्यालय स्तर से निर्गत किये गये हैं।

2. पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 101 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपदों में घटित जघन्य व सनसनीखेज अपराधों को विशेष अपराध की श्रेणी में रखकर विशेष आख्या अपराध पत्रावली खोलकर जनपद/परिक्षेत्र/जोन स्तर पर विवेचनात्मक कार्यवाही का पर्यवेक्षण करने की व्यवस्था निर्धारित है। इस सम्बन्ध में घटित जघन्य एवं सनसनीखेज अपराधों को Heinous Crime Monitoring System, साफ्टवेयर में त्रुटि रहित कम्प्यूटरीकृत कराये जाने एवं प्रत्येक स्तर पर सुगमतापूर्वक पर्यवेक्षण/आंकलन किये जाने के सम्बन्ध में इस मुख्यालय के पत्र संख्या : डीजी-सात-एस-9(निर्देश/टी0एस0-4)/2013 दिनांक 04.03.2013 को इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। निर्गत निर्देश के क्रम में कुछ अपराधों को विशेष अपराध आख्या की श्रेणी में और सम्मिलित किया गया है जो अब निम्नवत हैं -

1 डकैती।
2 लूट-
- जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है।
- जिसमें कोई आग्नेयशस्त्र लूटा गया है।
- एक लाख अथवा इससे अधिक मूल्य की सम्पत्ति की लूट।
- बैंक/पोस्ट आफिस में लूट अथवा बैंक/पोस्ट आफिस के धन हस्तान्तरण के समय लूट की घटना।

3 हत्या/यौन हमला/बलवा/आगजनी के ऐसे अपराध जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति पीड़ित हों।
4 गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अपराध।
5 हत्या के समस्त अपराध।
6 दहेज मृत्यु के अपराध।
7 पुलिस अभिरक्षा में किसी अभियुक्त के पलायन का अपराध।
8 फिरौती के लिए अपहरण।
9 रोड होल्डअप।
10 पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु।
11 शस्त्र/गोला बारूद की दुकान में चोरी।
12 दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश-2013 में वर्णित यौन हमला(धारा 375 भादवि में जैसा परिभाषित किय गया है।) के समस्त अपराध।
13 विधि विरूद्ध भीड़ पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग की ऐसी घटनायें जिनमें किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हुइ हो।
14 पुलिस का दुर्व्यवहार।

15 एक लाख या इससे अधिक की फर्जी भारतीय मुद्रा(एफ0आई0सी0एन0) की बरामदगी।
16 विद्युत तार/ट्रांसफार्मर चोरी।
17 तीन लाख रूपये से अधिक मूल्य की चोरी/नकबजनी।
18 10 लाख रूपये मूल्य से अधिक धन का गबन/धोखाधड़ी।
19 एसिड अटैक(भा0द0वि0 326ए) से सम्बन्धित अपराध।
20 ऐसे अपहरण जिनमें अपहृत की बरामदगी 45 दिनों के अन्दर सुनिश्चित न की जा सकी हो तो ऐसे सभी प्रकरणों को विशेष आख्या अपराध की श्रेणी में रखा जायेगा।
21 अन्य कोई अपराध, जिसमें लोकहित में अथवा किसी शिकायत आदि के आधार पर अथवा साम्प्रदायिक/जातीय या राजनैतिक झगड़े या झगड़ें की आशंका पर जनपद में स्थानीय अपराधिक परिस्थितियों के आधार पर जनपदीय पुलिस प्रमुख विशेष आख्या/क्रमागत आख्यायें प्राप्त कर अनुश्रवण करना उचित समझे।

3. आप अवगत है कि मुख्यालय स्तर पर **Heinous Crime Monitoring System** के माध्यम से गंभीर अपराधों की प्रगति का आवश्यकतानुसार पर्यवेक्षण किया जाता है मुख्यालय स्तर पर **Heinous Crime Monitoring System** में अंकित प्रविष्टियां के पर्यवेक्षण पर पाया गया कि अधिकांश जनपदों द्वारा प्रविष्टियां अंकित नहीं की जा रही हैं। यदि प्रविष्टियां की भी गयी हैं तो अद्यावधिक नहीं हैं। इसी तरह जनपद, परिक्षेत्र एवं जोन स्तर पर पर्यवेक्षण अधिकारी स्तर से निर्देश **Heinous Crime Monitoring System** में अंकित नहीं किये जा रहे हैं। जिसके कारण मुख्यालय स्तर पर गंभीर अपराधों के पर्यवेक्षण में समस्या उत्पन्न हो रही है।

4. मुख्यालय स्तर पर गंभीर अपराधों के विषय में प्रभावी पर्यवेक्षण व्यवस्था प्रचलित किये जाने के बिन्दु पर मा0 उच्च न्यायालय ने भी समय-समय पर निर्देश निर्गत किये हैं।

5. अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में निर्गत परिपत्रों में वर्णित निर्देशों का अनुपालन करते हुए **Heinous Crime Monitoring System** साफ्टवेयर का प्रयोग सभी गंभीर अपराधों की विवेचना का पर्यवेक्षण करने हेतु सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि सभी निर्धारित अपराधों का समय से अंकन हो तथा विभिन्न स्तरों पर पर्यवेक्षण टिप्पणी (निर्देश) व्यवस्था अनुसार अंकित किया जाये।

6. उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय

(जगमोहन यादव) 17

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0 लखनऊ।
2. पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0 लखनऊ।
3. पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।